

APRIL 2011

The Hindu, Monday, April 25, 2011

Rajasthan awarded for developing Panchayati Raj Institutions

Jaipur: Rajasthan on Sunday bagged the first prize for strengthening of Panchayati Raj Institutions and implementation of new initiatives in the field. Prime Minister Manmohan Singh awarded the prize worth Rs.1.50crore to State Panchayati Raj Minister Bharat Singh at a function marking the national Panchayati Raj Day in New Delhi.

The Aradaka village panchayat of Ajmer district also received the 'pride of the nation' prize worth Rs.10lakh on the occasion. The prize was given to Aradaka Sarpanch Raisa Khatoon Hoshiyara at the function organized at Vigyan Bhavan in Delhi.

UPA chairperson Sonia Gandhi was also present at the function. Over 60 elected

representatives of panchayat bodies from the State took part in the function which was attended by about 1,000 delegates from all over the country.

The function marked the enactment of the Constitution (73rd Amendment) Act, 1992, from April 24, 1993, which institutionalized Panchayati raj through the village, intermediate and district levels panchayats. The release quoted Mr.Bharat Singh as saying that the works taken up in Rajasthan for development of Panchayati Raj during 2010-11 were considered the best in a national-level survey. "The decision for devolving powers of five significant departments on panchayats was especially hailed as path-breaking", he said.

Times of India, Sunday, April 17, 2011

Panchayat Act helps villages regain control over resources

New Delhi: As the government toys with devolving more powers to gram sabhas, villagers are doing their own thing to regain control of resources and manage them, empowered by the Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act.

Decentralization is not just a mantra in these villages that have declared themselves village republics. Gandhi's idea of Gram Swaraj has come true, in part.

The radical PESA (Panchayat Extension to Scheduled Areas) Act, 1996, gives gram sabhas in tribal areas authority to decide the use of natural resources. States have preferred not to but villages like Kamyapeta in Andhra and Mendha in Maharashtra have wrested control.

Some experts estimate more than 1500 villages across the tribal belts have asserted their rights under the powerful act, some with better results than others.

Richard Mahapatra of the Centre for Science and Environment, who studied some of these villages, says the number of such villagers is rising. "Villages which declared themselves republics are ones which saw threats to their resources."

The most touted story is of Mendha in Gadchiroli district of Maharashtra.

The battle began for the Gond tribal's of the village to control the dense forests that cover 80% of their village. When the forest department tried to deny people their traditional rights, they decided to take the battle full on. Other villages around the came out in support.

Like every battle fought the gandhian way, they picked an icon- their Ghotuls or dormitories for adolescents to learn tradition and culture. Ghotuls are made of wood and when the forest department destroyed one that Medha had made, the tribal's rose in protest. Neighboring villages also built Ghotuls of wood from the forest. A sabha of several Gond villages was convened and decided to back Mendha.

After four years, the government handed back control of the forest to the people of Mendha and today the forest department works with villagers.

The village has an anthem "Mawa nate mate Raj, Dilli-Mumbai mawa raj (in our village we are the government, in Delhi and Mumbai it is out government)". The gram sabha's permission is a must to undertake any work in the village area. One even the governor of Maharashtra had to seek permission from gram sabha to enter its domain.

Hindustan Times, Sunday, April 24, 2011

Medha Lekha to be first village to harvest bamboo

New Delhi: Over 150 years after a traditional right of poor tribals – to harvest bamboo- was snatched by British government, it will be resorted next Wednesday in a small tribal village in naxal-infested Gadchiroli district of Maharashtra.

Mendha Lekha village in the district will become forest village in India where harvesting bamboo will be recognized as a community right of tribals and other forest dwellers.

Since 1857, bamboo has remained under the grip of India's forest bureaucracy, which has refused to let g

The change became possible after environment minister Jairam Ramesh in March informed the state governments that bamboo will not be treated as a tree under Indian Forest Act anymore and will be

considered a minor forest produce like tendu leaf.

Congress-ruled Maharashtra was the forest to leap on the opportunity provided by Ramesh, a Congress minister in the Centre, the right will be granted to Mendha Lekha village in presence of Maharashtra CM Pritviraj Chavan and Ramesh next Wednesday.

o of this money-spinning forest product. It finally became a legal right for forest bureaucracy when the British enacted the Indian Forest Act in 1927, which categorized bamboo as a tree, thereby preventing local forest dwellers from harvesting local forest dwellers from harvesting them without requisite permission from the forest department. The regime had been followed in independent India.

पंचायतों का सशक्तीकरण

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने की जरूरत है, सरकार इसके लिए और कदम उठाएगी। रविवार को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के एक कार्यक्रम में लगभग यही बात सोनिया गांधी ने भी कही। श्रीमती गांधी केंद्र में सतारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष हैं। उनके विचारों का महत्व प्रधानमंत्री से कम नहीं है। पंचायतों के सशक्तीकरण के सम्बंध में केंद्र सरकार की सामर्थ्य पर संदेह नहीं हो सकता। संविधान, इसके 73वें संशोधन व पंचायती व्यवस्था सम्बंधी कानून में पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। जो कमियाँ हैं उन्हें दूर करने का सरकार और संसद को अधिकार है। अच्छा संयोग यह है कि इस समय सामाजिक माहौल इसके पक्ष में है। जनता जिसका सम्बंध सीधे पंचायतों से है, अब अपनी तकदीर का फैसला खुद करना चाहती है। यह जम्मू-कश्मीर के स्थानीय निकायों तथा कुछ राज्यों में विधानसभा के हाल के चुनावों में करीब तीन-चौथाई मतदाताओं को मतदान में भागीदारी से साबित होता है। किंतु क्या पंचायतों का सशक्तीकरण सरकार का संकल्प भी है? महात्मा गांधी कहते थे कि देश को पूर्ण स्वराज तभी मिलेगा जब देश के गाँवों में स्वराज आएगा। गाँधीजी के सपने को सच करने के नाम पर पंचायत सशक्तीकरण ने लगभग पांच साल पहले पांच सूत्री कार्यक्रम बनाए थे। इनके तहत पंचायतीराज प्रणाली सशक्त करने के अभीष्टस्वरूप सबसे अहम जरूरत ग्राम पंचायतों के दफ्तरों के बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाने की थी। लक्ष्य तय हुए और कुछ कार्यक्रम भी। कहा गया कि इससे भ्रष्टाचार दूर करने में सहायता मिलेगी, लेकिन पांच साल बीत गए। कहीं-कहीं एकाध बातों को छोड़कर कार्यक्रमों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। अलबत्ता, नौकरशाही की ही भ्रष्टाचार से दुरसिंधि निर्यत बन गई। दूसरी तरफ पंचायत स्थानीय स्तर पर राजनीति का जरिया बन गई, या अपनी दशा पर आंख बहाने को अभिशप्त हैं। 12 जून 2006 के निश्चय कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायतों को अपना कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिए दफ्तर की सुविधा के अलावा उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति, पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण व पंचायत स्तर पर ई-गवर्नंस की स्थापना प्रमुख थी। केंद्रीय सहायता से इसे कुछ माह में पूरा करने के दावे किए गए थे। सरकार के दूसरे चरण को भी दो वर्ष होने को हैं पर कार्यक्रमों का पता नहीं है। हजारों की तादाद में गांव अभी तक बिजली और इंटरनेट की सुविधा से महरूम हैं। तब भी पंचायतीराज को सशक्त करने की बात करते हुए सरकार ने कहा था कि सत्ता विकेंद्रिकरण से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा क्योंकि पंचायतीराज गांववासियों के प्रति सीधे जवाबदेह होता है। यही बात सरकार आज भी कह रही है। निश्चित ही पंचायतों की मजबूती देश के तीव्र व स्थायी विकास की अहम जरूरत है। पर यह बनाने या पुरस्कारों से नहीं आ सकती। इसके लिए पंचायतों को मनरेगा व अन्य विकास योजनाओं की निगरानी तथा इनके सोलार ऑडिट के अधिकार तो देने ही होंगे, उन्हें कार्यकुशल और दक्ष बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को समुचित प्रशिक्षण भी देना होगा। नहीं तो यह सिर्फ एक रस्मी मुद्दा बनकर रह जाएगा! पर क्या नौकरशाही के कुशल खिलाड़ी ऐसा होने देंगे?

खरपतवार से निपटने

का ग्रीन तरीका

सुरेश उपाध्याय ॥ नई दिल्ली

खेतों से खरपतवारों के सफाये के लिए किसानों को अब खतरनाक केमिकल्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक बनाई है, जो खरपतवार को रोकती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। इसकी लागत भी केमिकल्स के मुकाबले बहुत कम आती है।

सोलराइजेशन या सौरिकरण नाम का इस तकनीक का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जबलपुर स्थित डायरेक्ट्रेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च (डीडब्ल्यूएसआर) ने किया है। अप्रैल से जून तक जमीन का सोलराइजेशन करके खरीफ से लेकर रबी तक के सीजन में खरपतवार से राहत मिल जाती है। कैसे करता है काम: डीडब्ल्यूएसआर के निदेशक डॉ. जे. जी. वाण्येय के मुताबिक, इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले जमीन की अच्छी तरह जुलाई की जाती है। इसके बाद पारदर्शी पॉलीएथलीन (पीटीई) फिल्म को मिट्टी पर बिछा दिया जाता है। फिल्म के किनारे मिट्टी में दबा दिए जाते हैं, ताकि अंदर की गर्मी

बाहर न आ सके। यह काम अप्रैल से जून के बीच इसलिए किया जाता है कि तब सूर्य की किरणों में काफी तेजी होती है। इस कारण पीटीई फिल्म के अंदर खासी गर्मी पैदा हो जाती है। इससे खरपतवार की कई प्रजातियाँ और फसलों की जड़ों को गला देने वाले बैक्टीरिया दम तोड़ देते हैं। इन बैक्टीरिया के कहर को किसान म्लाना या उकटा रोग के नाम से जानते हैं।



खतरनाक केमिकल्स के इस्तेमाल से मिलेगा छुटकारा, बचाना किसान का पैसा

तकनीक के फायदे : डॉ. वाण्येय बताते हैं कि आमतौर पर मिट्टी का सौरिकरण तीन से छह हफ्ते तक किया जाता है। सौरिकरण से जमीन में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। मिट्टी के ढके रहने से घुलनशील पोषक तत्व उसमें अच्छी तरह मिल जाते हैं। स्वस्थ पौध तो मिलतो ही हैं, कीटनाशकों, फफूंदनाशकों और खरपतवारनाशकों पर होने वाले खर्च से भी मुक्ति मिल जाती है। समय की बचत होती है। पीटीई फिल्म एक बार खरीदने के बाद यह कई बार इस्तेमाल होता है। कई सफल प्रयोग : प्रयोग के तौर पर इस तकनीक का इस्तेमाल काफी कामयाब रहा है। इसके कारण प्याज की पैदावार में 100 से 125, मूंगफली में 50 से 55 और सोयाबीन में करीब 80 फीसदी का इजाफा देखा गया।